तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02-02-2023	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित। विप्रार्थी सं. 2 से 4 के वकील उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं. 1 से 3 की संयुक्त हक एवं कब्जाकाश्त की भूमि ख.सं. 380 रकबा 43.17 बीघा तथा ख.सं. 349, 350, 377 व 378 कुल रकबा 116.09 बीघा भूमि ग्राम नाल तहसील सिवाना में अवस्थित है। प्रार्थी मुतवफी डूंगरसिंह के वारिस हैं, जिनके 4 पुत्र – प्रार्थी के पिता मंगलसिंह, विप्रार्थी सं. 1 अर्जुनसिंह विप्रार्थी सं. 2 जयसिंह व विप्रार्थी सं. 3 भंवरसिंह–थे। इस प्रकार विवादित भूमि में 1/4 हिस्सा प्रार्थी का एवं 1/4 – 1/4 हिस्सा विप्रार्थी सं. 1 से 3 प्रत्येक का है। इसी अनुसार पक्षकार विवादित भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। राजस्व रिकॉर्ड के गलत संधारण से ख.सं. 380 की भूमि विप्रार्थी सं. 1 अकेले के नाम एवं शेष खसरों की भूमि प्रार्थी के पितामह डूंगरसिंह एवं उनके दो पुत्रों – विप्रार्थी सं. 2 व 3 के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज हुई और प्रार्थी उक्त समग्र भूमि में पुश्तैनी होने से निहित अपने 1/4 हिस्से के हकों से महरूम हो गया। भूमि पुश्तैनी होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं उक्त भूमि के 1/4 हिस्से पर अपना कब्जाकाश्त होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। यदि राजस्व रिकॉर्ड में गलत प्रविष्टि के आधार पर विप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि का बेचान कर दिया गया, तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अतः ताफैसला मूल वाद विप्रार्थीगण को प्रार्थी के 1/4 हिस्से के कब्जाकाश्त में दखलंदाजी नहीं देने एवं मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये स्थगन पाबन्द किया जावे। इसके विपरीत वकील विप्रार्थी सं. 2 व 3 की बहस है कि विवादित भूमि खातेदारान के वास्तविक हिस्सानुसार वक्तबंदोबस्त दर्ज हुई थी। ख.सं. 349, 350, 377 व 378 रकबा 116.09 बीघा में 1/3 हिस्सा डूंगरसिंह का एवं 1/3 – 1/3 हिस्सा उनके दो पुत्रों – विप्रार्थी सं. 2 व 3 – प्रत्येक का था। डूंगरसिंह के फौत होने पर उनके चारों पुत्रों में से प्रत्येक परिवार के नाम 1/12 – 1/12 हिस्सा अन्तरित होने से विप्रार्थी सं. 2 व 3 प्रत्येक का 5/12 – 5/12 हिस्सा हुआ और प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं. 1 का पृथक–पृथक 1/12 – 1/12 हिस्सा और संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा हो गया। इसी अनुसार पक्षकार विवादित भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त ख.सं. 380 रकबा 43.17 बीघा भूमि विप्रार्थी सं. 1 की आवगी खातेदारी की है। इस प्रकार विवादित भूमि रिकॉर्ड में दर्ज खातेदारान की स्वार्जित होने से प्रार्थी का खं.सं. 349, 350, 377 व 378 की भूमि में 1/12 हिस्सा है, जो उसे उसके पितामह डूंगरसिंह से विरासत में प्राप्त हुआ था। विवादित भूमि खं.सं. 349, 350, 377 व 378 में उक्त	

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

1/12 हिस्से के अतिरिक्त उसका न तो कब्जाकाश्त है और न ही हक हिस्सा। विप्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार होने तथा उन्हीं का धारित हिस्सानुसार विवादित भूमि पर कब्जाकाश्त होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन विप्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थी का उक्त खसरों में मात्र 1/12 हिस्सा होने से इससे अधिक भूमि के संबंध में स्थगन जारी किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है और न इससे प्रार्थी को कोई क्षति होने की संभावना ही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तथ्यहीन एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से खारिज किया जावे।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार ग्राम नाल की ख.सं. 380 रकबा 43.17 बीघा भूमि विप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी में दर्ज है और इसी ग्राम की ख.सं. 349, 350, 377 व 378 कुल रकबा 116.09 बीघा वक्तबंदोबस्त डूंगरसिंह व उसके 2 पुत्रों– विप्रार्थी सं. 2 व 3 के नाम बहिस्सा बराबर खातेदारी में दर्ज हुई थी। डूंगरसिंह के फौत होने पर उसके वारिसान की हैसियत से उसके 1/3 हिस्से की भूमि प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं. 1 से 3 के नाम दर्ज हुई, जिससे 5/12 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 की, 5/12 हिस्सा विप्रार्थी सं. 3 की एवं 1/12 – 1/12 हिस्सा प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं. 1 प्रत्येक की खातेदारी में दर्ज हुआ। प्रार्थी ने समग्र भूमि डूंगरसिंह की संयुक्त पारिवारिक बताते हुए प्रत्येक थौक का 1/4 – 1/4 हिस्सा दर्ज करवाने तथा इसी अनुसार 1/4 हिस्से में अन्तरिम स्थगन जारी करवाने की इस्तदुआ चाही है। जबकि उन्होंने ऐसा कोई दस्तावेंजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सों में परिवर्तन करने अथवा प्रार्थी को खं.सं. 349, 350, 377 व 378 कुल रकबा 116.09 बीघा में 1/6 हिस्से से अधिक भूमि के संबंध में स्थगन का अनुतोष प्रदान किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत होता हो।

इसके अतिरिक्त कानून की यह स्थापित प्रकिया है कि धारा 212 आर.टी.एक्ट के आवेदन की विचारणीयता, उसके साथ धारा 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद पर आधारित होती है। धारा 188 आर.टी.एक्ट के अभाव में धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रकरण चलने योग्य नहीं होता है। वाद के अवलोकन में स्पष्ट है कि वादी की ओर से घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरुस्ती हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है और उक्त दो धाराओं की ही स्टाम्प ड्यूटी रुपये 4/– भरी गई है। यद्यपि वाद के इस्तदुआ के बिन्दु सं. 13 के उपबिन्दु स में स्थायी निषेधाज्ञा का उल्लेख है किंतु बिन्दु सं. 11 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद मात्र घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरुस्ती संबंधी दो धाराओं का ही है और दो धाराओं का ही शुल्क अदा किया गया है तथा मुख्य शीर्षक में भी उक्त दो धाराओं का ही उल्लेख है।

यद्यपि पक्षकारान के हकों का अंतिम रूप से निस्तारण वाद की विधि सम्मत सुनवाई के वाद पारित निर्णय से संभव होगा,

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

किंतु धारा 212 आर.टी.एक्ट का उक्त प्रकरण विधिक त्रुटियों से ग्रस्त होने तथा अस्थायी स्थगन का कोई आधार प्रस्तुत करने में प्रार्थी के विफल रहने के कारण आवेदन इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर मूलवाद के संलग्न हो।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Badnor
Date: 2023.04.13 12:49:45 IST
Reason: SelfAttested